न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 122/2022

अनवान : –

1. प्रयागचन्द पुत्र बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. दलीप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर। ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 27/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 722/110 के ख.न. 1134/633 की 1.9014 हैक्टर बारानी भूमि स्थित है, जिसका सांयल प्रयागचन्द पुत्र बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 721/110 के ख.न. 1133/633 की 5.0632 हैक्टर बारानी भूमि स्थित है, जिसका गैरसायल सं. 1 दलीप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है।

सायले ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का खाता तक्सीम करवा लिया एवं सायल ने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है तथा गैरसायल सं. 1 सायल के कब्जा काश्त में सींव लगान का झगड़ा रहता है इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 722/110 के ख.न. 1134/633 की 1.9014 हैक्टर बारानी भूमि में सायल के कब्जा की भूमि में मदाखलत बैजा ना करे। तथा सायल को फसल काश्त करने में व्यवधन उत्पन करते है इसलिए सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवापाने का मजाज है कि वाद भूमि में गैरसायलान सायल के हक व हिस्से की व कब्जा काश्त की भूमि की नींव सींव तोड़ने से निषिद्ध रहे है। तथा कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे व काश्त करने में व्यवधान उत्पन करने से निषिद्ध रहे। सायल उपरोक्त आशयों की घोषणा करापाने का मजाज है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 722/110 ख.न. 1134/633 1.9014 हैक्टर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान सं. 1 सींव डोल मिस्मार करने से निषिद्ध रहे तथा कब्जा काश्त में मदाखल बैजा न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। ए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 722/110 के ख.न. 1134/633 की 1.9014 हैक्टर में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि की सींव व डोल को मिस्मार न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल का उक्त भूमि में कोई कब्जा नही है इसलिए सीवं व डोल तोड़ने का प्रश्न ही नही है। सायल व गैर सायल नम्बर 1 के साथ पूर्व में 23 अन्य सहकाश्तकार के साथ शामिल खाते की भूमि थी तथा उक्त शामिल खाते की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने का दावा इस अदालत में अनवानी मनीराम बनाम प्रयागचन्द आदि वाद संख्या 325 सन 2017 पेश हुआ वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में प्रतिवादी नम्बर 1 यानि गैर सायल नम्बर 1 की बिना तलबी करवाये बिना जबाबदावा के वाद संख्या 325 सन 2017 को दिनांक 25–5–2018 को प्राथमिक डिक्री कर दिया तथा उक्त दावा में गैर सायल नम्बर 1 को विभाजन प्रस्ताव पर भी ना सुनकर एकतरफा रूप से दिनांक 23–3–2020 को नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव पर फाईनल डिक्री कर दिया गया । गैर सायल नम्बर उतरदाता ने उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 25–5–2018 व फाईनल डिक्री दिनांक 23–3–2020 के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील प्रस्तुत की जो अपील स्वीकार की जाकर इस अदालत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 25–5–2018 व निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23–3–2020 जो वाद संख्या 325 सन 2017 ब अनवानी मनीराम बनाम प्रयागचन्द आदि में पारित की है उसका अपास्त कर दिया तथा पत्रावली पुनः इस अदालत में उभय पक्षों को सुनवाई व सबुत का मौका देते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया जाकर पुनः निर्णय व फाईनल डिक्री जारी करने का आदेश दिया है तथा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर सायल को फाईनल डिक्री दिनांक 23–3–2020 के आधार पर कृषि भूमि राजस्व रिकाड में दर्ज हुई है वह खारिज हो चुकी है तथा निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23–3–2020 को अपास्त फरमा दिया है तथा उसके आधार पर नामान्तरण बहक सायल रदद हो चुका है इसलिये सायल रदद हो चुकी फाईनल डिक्री दिनांक 23–3–2020 के आधार पर दर्ज राजस्व अंकन अब कानून में कोई अहमियत नहीं है तथा उसके आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा दावा का उददेश्य निष्फल हो चुका है तथा इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट [illegible] चुका है तथा सायल को दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लाने [illegible] है तथा दावा व प्रार्थना पत्र इसी आधार पर काबिल खारिजी है। प्रार्थी [illegible] तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अत जवाब प्रार्थना पत्र पे[illegible] कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सींव व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक दुसर के चिपते पड़ौसी खातेदार काश्तकार है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों। प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर स्थगन चाहा गया हो जो की संदेहास्पद है। उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 15.06.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested